

प्रेस नोट दिनांक 15.10.2026
थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा आपसी विवाद में शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत कुल 08 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत की गई कार्रवाई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा संज्ञेय अपराधों की रोकथाम के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा आपसी विवाद में शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत दो अलग-अलग प्रकरणों में कुल 08 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

1. प्रथम प्रकरण में 01 अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई—

दिनांक 15.10.2026 को उ०नि० रामकरन सिंह मय हमराह का० अवनीश कुमार क्षेत्र में देखभाल एवं शांति-सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी पर थे। इसी दौरान कस्बा कोहंडौर स्थित पुराने थाने के सामने दिनांक 14.10.2026 को प्रथम पक्ष के विरुद्ध लिखाए गए मुकदमे को लेकर राकेश गौड़ पुत्र रामफल गौड़ निवासी ग्राम पालूपुर, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़, विवाद कर रहा था। पुलिस द्वारा समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्त आक्रोशित होकर आमदा फौजदारी होने लगा। दूसरा पक्ष शांत हो गया, जबकि अभियुक्त के अधिक उग्र होने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं संज्ञेय अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत उसे धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान कर पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी शोभावती को दूरभाष के माध्यम से दी गई। अभियुक्त के शरीर पर चोटें थीं, जो उसके अनुसार पिछली रात की थीं। विस्तृत विवरण चालानी रिपोर्ट में अंकित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. राकेश गौड़ पुत्र रामफल गौड़, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम पालूपुर, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

2. द्वितीय प्रकरण में 07 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई—

दिनांक 14.10.2026 को उ०नि० रामकरन सिंह मय हमराह का० अवनीश कुमार क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, वांछित/वारंटी की तलाश तथा नवरात्रि के दृष्टिगत चन्दीपुर धाम मंदिर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी पर थे। इसी दौरान डायल 112 के माध्यम से ग्राम

पालूपुर में लड़ाई-झगड़े एवं मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचने पर प्रथम पक्ष के 05 व्यक्तियों तथा द्वितीय पक्ष के 02 व्यक्तियों के मध्य मोहल्ले में तेरहवीं भोज में खाना खाने की बात को लेकर गाली-गलौज एवं विवाद होना पाया गया। पूछताछ करने पर दोनों पक्ष एक-दूसरे को देख लेने की धमकी देते हुए आक्रोशित होकर आमादा फौजदारी होने लगे। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु उनके और उग्र होने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं संज्ञेय अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत दोनों पक्षों के कुल 07 व्यक्तियों को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना प्रथम पक्ष के भाई राकेश गौड़ एवं द्वितीय पक्ष के भाई महेश गौड़ को मौके पर दी गई। विस्तृत विवरण चालानी रिपोर्ट में अंकित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

प्रथम पक्ष—

रवि गौड़ पुत्र राकेश गौड़, उम्र करीब 20 वर्ष।

नन्हेलाल गौड़ पुत्र रामपाल, उम्र करीब 55 वर्ष।

कमलेश गौड़ पुत्र रामपाल, उम्र करीब 47 वर्ष।

दीपक गौड़ पुत्र कमलेश गौड़, उम्र करीब 23 वर्ष।

अजय गौड़ पुत्र नन्हेलाल गौड़, उम्र करीब 30 वर्ष।

द्वितीय पक्ष—

मिनेश कुमार गौड़ पुत्र बेनीराम गौड़, उम्र करीब 43 वर्ष।

दिनेश कुमार गौड़ पुत्र बेनीराम गौड़, उम्र करीब 50 वर्ष।

उपरोक्त सभी अभियुक्तगण निवासी ग्राम पालूपुर, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ हैं।

पुलिस टीम का विवरण—

उ0नि0 रामकरन सिंह मय हमराह का0 अवनीश कुमार, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 15.10.2026

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 15.10.2026 को उ0नि0 सुभाष चन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 वीरेन्द्र यादव एवं रि0का0 अमर कुमार द्वारा क्षेत्र में देखभाल, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश एवं दबिश के दौरान माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट स्पेशल ईसी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW मुकदमा संख्या 1237/2026, मु0अ0सं0 117/2025, धारा 115(2)/352/351(3)/127(2)/110 बीएनएस, थाना मान्धाता से संबंधित वारण्टी अभियुक्त जगन्नाथ पटेल पुत्र गनपत पटेल उर्फ गनेश पटेल, निवासी ग्राम अहिना, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर ग्राम अहिना से बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुभाष चन्द्र सिंह।

हे0का0 वीरेन्द्र यादव।

रि0का0 अमर कुमार थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 15.10.2026

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस एवं स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही में 40.64 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) बरामद, अन्तर्जनपदीय 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर पुलिस एवं स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही, 40.64 ग्राम अवैध एम.डी. के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना फतनपुर पुलिस एवं स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 14.10.2026 को थाना क्षेत्रान्तर्गत बसिरहा नाला से आगे कैलीडीह की तरफ सड़क पर, ग्राम बसिरहा से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 40.64 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ एम.डी., जामातलाशी से कुल ₹390 नकद तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP72AE5565 बरामद की गई।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 251/2026, धारा 22(C) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. नीलेश यादव पुत्र प्रकाश नाथ, निवासी ग्राम साडीकला, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर।
2. अखिलेश कुमार रंजन पुत्र सोमई राम, निवासी ग्राम भुसहर मुजाही बाजार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
3. मनीष यादव पुत्र लालबहादुर यादव, निवासी ग्राम भुसहर मुजाही बाजार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

40.64 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ एम.डी.।

एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP72AE5565।

जामातलाशी से कुल ₹390 नकद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राजनाथ यादव, उ0नि0 आकाश शुक्ला मय हमराह हे0का0 मनोज कुमार, का0 आशुतोष तिवारी, का0 देवेन्द्र सिंह, रि0का0 अर्पित गुप्ता, रि0का0 निखिल प्रसाद, रि0का0 सुबोध यादव एवं रि0का0 रोहन कुमार, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

विशेष सहयोग (स्पेशल टीम)-

उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह, प्रभारी स्पेशल टीम, हे0का0 भानू प्रताप सिंह, हे0का0 मनोज कुमार यादव, का0 माधवेश राय, का0 मुकेश पटेल, का0 आनन्द यादव एवं का0 पियूष यादव।

प्रेस नोट दिनांक 15.10.2026

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 173/2026, धारा 69/74/115(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप पुत्र लल्लू उर्फ लालमनि, निवासी ग्राम दोनई, थाना कोतवाली पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को दिनांक 15.10.2026 को समय करीब 10:35 बजे नजियापुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

विवेचक उ0नि0 नन्दू यादव मय हमराह का0 निर्दोष कुमार एवं रि0का0 शिवम सिंह के साथ दिनांक 15.10.2026 को क्षेत्र में देखभाल, शांति व्यवस्था एवं वांछित अभियुक्त की तलाश में सोनाही बाजार में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना दिलीपपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप नजियापुर मोड़ पर किसी साधन की प्रतीक्षा कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नजियापुर मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पृष्ठताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका पीड़िता के साथ करीब 04 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वह पकड़े जाने के डर से बाहर शहर भागने की फिराक में था। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संदीप पुत्र लल्लू उर्फ लालमनि, निवासी ग्राम दोनई, थाना कोतवाली पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 173/2026, धारा 69/74/115(2)/351(3) बीएनएस, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 नन्दू यादव मय हमराह का0 निर्दोष कुमार एवं रि0का0 शिवम सिंह

प्रेस नोट दिनांक 15.10.2026

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई के उ०नि० देवेन्द्र कुमार पाठक द्वारा दिनांक 15.10.2026 को मय हमराह, मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत वीरमऊ चौराहे के पास से 02 वारण्टी अभियुक्तों 1. राजेन्द्र प्रसाद मौर्या पुत्र मेवालाल एवं 2. रमाशंकर पुत्र राम दुलार, निवासीगण ग्राम करनपुर खुड़ी, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, कोर्ट नंबर-21, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा मु०नं० 252/1999, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बनाम राजेन्द्र प्रसाद यादव, थाना कंधई के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. राजेन्द्र प्रसाद मौर्या पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम करनपुर खुड़ी, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 63 वर्ष।
2. रमाशंकर पुत्र राम दुलार, निवासी ग्राम करनपुर खुड़ी, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० देवेन्द्र कुमार पाठक, मय हमराह, चौकी बेलखरनाथ धाम, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 15.10.2026

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई पुलिस द्वारा एनबीडब्ल्यू (NBW) वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

थाना कंधई के उ०नि० जय प्रकाश मय हमराह का० हरदीप कुमार द्वारा क्षेत्र में देखभाल, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा वांछित एवं सक्रिय अपराधियों और एनबीडब्ल्यू वारंटियों की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम भदौना में उसके

घर के पास से वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र सरोज पुत्र श्याम लाल, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम भदौना, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा मु०नं० 667/2022, धारा 323/504/506 भादवि, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धर्मेन्द्र सरोज पुत्र श्याम लाल, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम भदौना, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० जय प्रकाश, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

का० हरदीप कुमार, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।